संख्या-10/2026/आई/1395833/2026-10-22099/1223/2020-22

प्रेषक,

विजय कुमार सिंह,
विशेष सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

महालेखाकार,
(लेखा एवं हकदारी) प्रथम,
उ०प्र०, प्रयागराज।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 **लखनऊः दिनांकः15 जुलाई, 2026**

विषयः वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2024-25 तक की अवधि में उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड राज्य में पेंशन पर हुये व्यय के प्रभाजन के फलस्वरूप उत्तराखण्ड राज्य को भुगतान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है उत्तर प्रदेश शासन के वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-09/2026/आई/1392114/2026-10-22099/1223/2020-22, दिनांक 10 जुलाई, 2026 (प्रतिलिपि संलग्न) द्वारा उत्तराखण्ड सरकार को तदर्थ रूप से धनराशि रू.331.26 करोड़ (रूपया तीन सौ इकत्तीस करोड़ छब्बीस लाख मात्र) का भुगतान भारतीय रिजर्व बैंक, केन्द्रीय लेखानुभाग, नागपुर के माध्यम से अन्तर्राज्यीय समायोजन द्वारा किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2. कृपया तदनुसार रू. 331.26 करोड़ (रूपया तीन सौ इकत्तीस करोड़ छब्बीस लाख मात्र) की धनराशि उत्तर प्रदेश राज्य के खाते में डेबिट कर उत्तराखण्ड राज्य के खाते को क्रेडिट किये जाने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक, केन्द्रीय लेखानुभाग, नागपुर को अन्तर्राज्यीय समायोजन एडवाईज (Inter Governmental Adjustment Advice) प्रेषित करने का कष्ट करें।

3- उपर्युक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-62 वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशने) के अधीन लेखाशीर्षक "2071-पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ-01- सिविल-800-अन्य व्यय-10-उ0प्र0 राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत पेंशन दायित्वों के प्रभाजन के फलस्वरूप उत्तराखण्ड राज्य को देय राशि-33-पेंशन/आनुतोषिक/अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ"के नामे डाला जायेगा।

संलग्नक:यथोक्त।

भवदीय,
विजय कुमार सिंह
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, प्रयागराज।
2. प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड सरकार, देहरादून।
3. निदेशक, पेंशन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4- निदेशक, पेंशन, उत्तराखण्ड, देहरादून।

आज्ञा से,
राहुल कुमार
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।